प्रेस नोट
दिनांक 08.06.2024, थाना खरगूपर
जनपद गोण्डा।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से स्मैक (अवैध मादक पदार्थ) बरामद-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (08 ग्राम स्मैक) के साथ अभियुक्त आपरेटर पुत्र मालिक राम निवासी ग्राम भटपी थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा को ग्राम भटपी नहर पटरी के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 08 ग्राम स्मैक बरामद किया गया गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना खरगूपुर में मु0अ0स0-159/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 08.06.2024 को थाना खऱगूपुर के उ0नि0 अखिलेश यादव मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि ग्राम भटपी नहर पटरी के पास पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (08 ग्राम स्मैक) बरामद कर अभियुक्त आपरेटर पुत्र मालिक राम निवासी ग्राम भटपी थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना खरगूपुर में मु0अ0स0- 159/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खऱगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आपरेटर पुत्र मालिक राम निवासी ग्राम भटपी थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 159/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 08 ग्राम स्मैक नाजायाज(अवैध मादक पदार्थ) बरामद

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 अखिलेश यादव
02. का0 चन्द्रेश वर्मा
03. का0 आशीष यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.06.2024, थाना को0कर्नलगंज
जनपद गोण्डा।

थाना को0कर्नलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना को0कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 232/2024, धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त विनोद सिंह पुत्र हरिद्वारी निवासी दिदारू टांडा थाना भीरा जनपद लखीमपुर खीरी को थाना कर्नलगंज पुलिस के द्वारा बाबागंज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना को0कर्नलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिग नाबालिक लड़की को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना को0कर्नलगंज में मु0अ0सं0- 232/2024, धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम आज्ञात के अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीडिंता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। आज दिनांक 08.06.2024 को वांछित अभियुक्त विनोद सिंह पुत्र हरिद्वारी निवासी दिदारू टांडा थाना भीरा जनपद लखीमपुर खीरी को थाना को0 कर्नलगंज पुलिस के द्वारा बाबागंज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. विनोद सिंह पुत्र हरिद्वारी निवासी दिदारू टांडा थाना भीरा जनपद लखीमपुर खीरी।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 232/2024, धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना को0कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 रामप्रकाश चन्द्रा
02. का0 लालूराम

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 08.06.2024

थाना समाधान दिवस-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय के निर्देशन में थाना समाधान दिवस के अवसर पर थानों में आयोजित समाधान दिवस में जनता की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया-

आज दिनांक 08.06.2024 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में थानों में आयोजित समाधान दिवस में जनता की जनसमस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुनकर उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण शत्-प्रतिशत निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में समस्त क्षेत्राधिकारी अपने अपने सर्किल व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा थाना समाधान दिवस पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को गम्भीरतापूर्वक सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण कराया गया। समस्त थानों से कुल 105 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए 08 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया शेष राजस्व संबंधित मामलों में राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर निस्तारण हेतु मौके पर भेजा गया

इस दौरान राजस्व एवं पुलिस के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा